उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/66

प.सं. 831-ई/6 सी.पी.सी./ Com. in lieu of holi. / 08/ EIV   दिनांक 13/01/2009

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Grant of Compensation in lieu of holidays to Non-gazetted RPF/RPSF personnel for attendance on gazetted holidays - Implementation of VI CPC s recommendation.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)I-2008/AII/RPF/2 दिनांक 02/01/2009 (आर.बी.ई.सं.01/09) क्र.सं. पी.सी.-VI No. 01/09 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न/यथोक्त

13/1/09
(D.V.Gautam)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव; एनआरएमयू 12 चेम्सफोर्ड रोड; नयी दिल्ली
3. महासचिव; अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर; नईदिल्ली-24
4. महासचिव; अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी.सी.-VI 01 /08
आर बी ई सं. 01 /08

सं. ई (पी एंड ए)I-2008/एएलएल/आरपीएफ/2

नई दिल्ली, दिनांक 02.1 .2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: अराजपत्रित रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कार्मिकों को राजपत्रित अवकाशों पर उपस्थिति हेतु अवकाशों के स्थान पर प्रतिपूर्ति प्रदान करना - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करना।

जैसा कि रेलें जानती हैं कि अराजपत्रित रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को राजपत्रित अवकाशों पर उनकी उपस्थिति के स्थान पर एक वर्ष में एक महीने के वेतन की राशि के समकक्ष नकद प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, वेतनमानों को 01.01.2006 से संशोधित कर दिया गया है। चूंकि एक महीने के वेतन के समकक्ष प्रतिपूर्ति का भुगतान संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के लिए पहले ही कर दिया गया है, अतः रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को संशोधित वेतनमानों के अनुसार 01.01.2006 से अंतर का भुगतान किया जाए। इस प्रकार की नगद प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(चंद्र प्रकाश)
संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

PC-VI No. 01 /09
RBE No. 01 /09

No. E(P&A)I-2008/All/RPF/2

New Delhi, dated 02-1 -09

The General Managers
All Indian Railways/PUs etc.

Subject: Grant of Compensation in lieu of holidays to Non-gazetted RPF/RPSF personnel for attendance on gazetted holidays – Implementation of VI CPC's recommendation.

*****

As the Railways are aware there is a provision for grant of cash compensation to non-gazetted RPF/RPSF personnel in lieu of their attendance on gazetted holidays equivalent to the amount upto one month's salary in a year. Pursuant to recommendation of VI CPC, pay scales have been revised w.e.f. 01.01.2006. Since payment of compensation equivalent to one month's salary has already been made to them for the years 2005-06, 2006-07 & 2007-08 as per pre-revised scales, payment of difference w.e.f. 1.1.2006 as per revised pay scales to RPF/RPSF personnel may be made. All other terms and conditions for payment of such cash compensation shall remain unchanged.

2. This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Chander Parkash)
Jt.Director Estt.(P&A)
Railway Board.